न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
74/दावा/2010	30.04.2010	27.11.2019

1. प्रेमलाल आ0 चतरभुज जाति धाकड़ निवासी केथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. रामनाथ आ0 चतरभुज जाति धाकड़ निवासी केथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. श्रीमति जगन्नाथी पुत्री चतरभुज पत्नि भंवर लाल जाति धाकड़ निवासी गुडला तहसील के0पाटन
4. मूली लाल आ0 नाथू लाल जाति धाकड निवासी के0पाटन जिला बून्दी
5. बालकी बाई पुत्री नाथू लाल जाति धाकड़ निवासी गुडला तहसील के0पाटन

.....वादीगण

बनाम

1. रघुनाथ आ0 खेमा जाति बलाई ग्राम कैथूदा हाल निवासी नोताड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. छीतर आ0 खेमा जाति बलाई ग्राम कैथूदा हाल निवासी नोताड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री कैलाश चन्द गुप्ता
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है किः–

1. कृषि भूमि खसरा संख्या–167 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा ग्राम कैथूदा तहसील तलेड़ा जिला बून्दी मे विस्थित है। जो वर्तमान जमाबन्दी सम्मत् 2062 से 2065 मे खतौनी संख्या– मे रघुनाथ व छीतर पि0 खेमा बलाई खातेदार दर्ज है।
2. उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का गत बन्दोबस्ती पुराना खसरा संख्या– 122 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा था। प्रतिबादी रूघनाथ एंव छीतर ने दिनांक 3.5.1957 को वाद– पत्र की चरण क्रम–1 मे वर्णित कृषि भूमि को 400/रूपये के प्रतिपल मे वादीगण के पिता चतरभुज आत्मज घासी जी जाति धाकड निवासी ग्राम कैथूदा को बैचान कर दी थी। और उसी दिन संपूर्ण विक्रय राशी प्राप्त करके विक्रय–पत्र रूबरू गवाहान लिखवाकर अपने हस्ताक्षर करवा दिये थे। इस विक्रय–पत्र का पंजियन कार्यालय उप पंजियक तालेडा मे दिनांक 8.5.1957 का करवाया गया था। विक्रय तिथि के दो–तीन साल पहले से ही वाद विषयक कृषि भूमि प्रतिवादी रूघनाथ व छीतर ने वादीगण के पिता चतरभुज जी को रहन करके कब्जा संभला दिया था। विक्रय तिथि से चतरभुज जी बतौर स्वामी कृषि भूमि पर काबिज हो गये।
3. वादीगण के पिता चतरभुज जी दिनांक 3.5.57 के पश्चात निरन्तर बहैसियत खातेदार उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे तथा उनके देहान्त के पश्चात उत्तरधिकारी वादीगण अभी तक बहैसियत वैधानिक खातेदार निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी क्रम–1 व 2 चतरभुज जी के पुत्र

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज0)

Scanned by CamScanner

है। वादी क्रम–3 पुत्री है। तथा वादी क्रम–4 व 5 चतरभुज जी की मृतक पुत्री श्रीमती कमला बाई के पुत्र एवं पुत्री है।

4. दिनांक 3.5.57 के पश्चात प्रतिवादी क्रम–1 व 2 का वाद विषयक कृषि भूमि पर कोई अधिकार एवं कब्जा रही रहा है। प्रतिवादी रूघनाथ ने उक्त कृषि भूमि से वादी क्रम–1 व 2 को बैदखल करके कब्जा प्राप्त करने के लिये न्यायालय तहसीलदार साहब, बूंदी के समक्ष कार्यवाही रूघनाथ– बनाम– पेमा वगैरह अन्तर्गत धारा– 183(बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत की थी। जिसका मिसल नं. 12/99 था। इस कार्यवाही मे प्रतिवादी रूघनाथ ने वादग्रस्त भूमि वादी क्रम–1 व 3 के पिता चतरभुज के पास 400/–रूपये मे रहन करने का भी वचन किया था। यह कार्यवाही दिनांक 15.12.2001 को अवधि बाधित होना मानते हुये खारिज कर दी गई। इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सं. 26/2002 न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी ने दिनांक 23.4.2004 को खारिज कर दी और विक्रय– पत्र के आधार पर वादी क्रम–1 व 2 का कब्जा मानते हुये प्रकरण अवधि बाधित माना गया।

5. वादी क्रम–1 से 3 के पिता चतुरभुज जी का 15 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया है। राजस्थान राज्य के राजस्व कर्मचारियो ने आग्रह के बावजूद भी वाद विषयक कृषि भूमि वादीगण के खाते दर्ज नही की यद्यपि प्रतिवादी क्रम–1 व 2 का वाद विषयक कृषि भूमि मे दिनांक 8.5.57 के पश्चात कोई स्वत्व शेष रही रहा था। और न ही कब्जा था। इसके बावजुद प्रतिवादी क्रम–1 व 2 ने जमाबंदी मे उनका नाम खातेदार दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाने के उददेश्य से तथ्यो को छुपाकर कपटपूर्वक वाद विषयक भूमि का विक्रय–पत्र एक व्यक्ति हीरालाल आत्मज मोडूलाल मेघवाल निवासी गागोस तहसील व जिला बुंदी के पक्ष मे दिनांक 15.1.2008 को निष्पादित करके 16.1.2008 को उप पंजियक तालेडा के कार्यालय मे पंजिकृत करवा दिया। जिसके आधार पर क्रेता हीरालाल ने वाद विषयक भूमि का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया।

6. क्रेता हीरालाल द्धारा वादीगण को भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने पर वादीगण को उक्त कपटपूर्वक बैचान का ज्ञान हुआ। वादीगण ने प्रतिवादी क्रम–1 व 2 द्धारा हीरालाल मेघवाल के पक्ष मे करवाये गये बैचान पंजिकृत दिनांक 16.1.2008 निरस्त कर दिया गया। इसके निरस्तर करने का एक वाद संख्या–5/08 प्रेमलाल– बनाम– रूघनाथ वगैरह दिनांक 30.1.2008 को प्रस्तुत किया जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय फास्ट ट्रेक कार्ट नं. 2 बून्दी द्धारा दिनांक 20.5.09 को विचारण के उपरात डिक्री कर दिया गया और विक्रय– पत्र दिनांक 16.1.2008 निरस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने प्रतिवादी क्रम–1 व 2 को वाद विषयक कृषि भूमि का अन्य किसी व्यक्ति को रहन व बैचान नही करने भारग्रस्त नही करने वादीगण को बैदखल नही करने और उनके कब्जे मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करने के लिये भी स्थायी निषेधाना से पाबंद किया। इस निर्णय एवं डिक्री की इजराय मे क्रेता हीरालाल के पक्ष मे खोला गया नामान्तकरण निरस्त कर दिया गया और निर्णय का नोट जमाबंदी मे अंकित कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला

7. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम– 2 बूंदी द्धारा वादीगण द्धारा प्रस्तुत वाद 27.2.2008 मे दिनाकं 20.5.2009 को पारित किये गये निर्णय मे तरकी संख्या –1 मे यह निर्णय पारित कर दिया गया है। कि प्रतिवादी संख्या–1 व 2 द्धारा स्वर्गीय श्री चतरभुज के पक्ष मे सन 1957 मे विवादित कृषि भूमि के संबंध मे विक्रय–पत्र विधिक रूप से निष्पादित किया

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner

गया था। और 1957 के बाद प्रतिवादी क्रम–1 व 2 का कोई स्वत्व शेष नही रहा है तथा दिनांक 16.1.2008 को प्रतिवादी संख्या –1 व 2 द्वारा किया गया था। बैचान अवैध एवं शून्य है। न्यायालय का यह मत पृष्ठ संख्या 15 निर्णय की चरण संख्या 17 मे अंकित किया गया है।

8. वादीगण के पिता स्वर्गीय चतरभुज जी के पक्ष मे किये गये बैचान प्रतिवादीगण का कब्जा प्राप्ति का वाद एवं अपील खारिज हो जाने तथा न्यायलय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय (फास्ट ट्रेक) क्रम–2 बून्दी द्वारा सन 1957 मे वादीगण के पिता के पक्ष मे किया गया बैचान वैधानिक घोषित कर दिये जाने के उपरांत वाद विषयक कृषि भूमि को वादीगण के खाते दर्ज किये जाने मे कोई वेधानिक बाध्यता नही है। किन्तु राजस्थान राज्य को पंजिकृत नोटिस अन्तर्गत धारा–80 जा0दी0 दिनांक 1.2.2009 को दी जाने के उपरान्त भी राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नही की। यही वादोत्पत्ति का कारण है।

अतः प्रार्थना है कि विधिवत आज्ञाप्ति द्धारा कृषि भूमि खसरा संख्या– 167 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी को वादीगण के खाते की घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम खातेदार के स्थान पर अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम–1 व 2 का नाम खाते से विलोपित किया जावे। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की और से दिनांक 14.06.2010 को अभिभाषक ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 की तामील दिनांक 22.06.2011 को हुई, परन्तु अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। कोस्ट पर अवसर दिये जाने के बाउजूद भी प्रतिवादी क्रम–1 ने जवाब प्रस्तुत नही किया और दिनांक 22.07.2013 को जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी क्रम–3 के द्वारा जवाब पेश नही किये जाने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में वादी की और से मूल रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 08.05.1957 प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 20.05.2009 अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम–2 बून्दी प्रदर्श–2, राजस्थान राज्य को दिया गया नोटिस की प्रति प्रदर्श–3, डाक रसीद प्रदर्श–4, नोटिस प्राप्ति रसीद प्रर्दश–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2062–65 ग्राम कैथूदा खाता सं0 167 प्रदर्श–6, प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 24.03.2004 न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी प्रदर्श–7, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028–47 ग्राम कैथूदा प्रदर्श–8, नकल जमाबन्दी खाता सं0 49 वाके ग्राम कैथूदा संवत् 2015–18 प्रदर्श–9, प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2008 प्रदर्श–10, साक्ष्य शपथ–पत्र में प्रेमलाल का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1, रामनाथ का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–2, कालू लाल का शपथ–पत्र पीडब्ल्यू–3, छोटू लाल शपथ–पत्र पीडब्ल्यू–4 की प्रतियॉ पेश की गई।

वाद पत्र में तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार है–

1. आया वादीगण के पिता चतरभुज आ0 घासी जाति धाकड द्वारा वाद विषयक आराजी प्रतिवादी रघुनाथ आ0 खेमा जाति बलाई से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 8.05.1957 से क्रय की गई।

... वादीगण

2. आया वाद विषयक आराजी पर विक्रय दिनांक 08.05.1957 से वादीगण के पिता व उनके बाद वादीगण अनवरत काबिज काश्त कर रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner

.....वादीगण

3. पंजीकृत विक्रय पत्र एवं विक्रय दिनांक से अनवरत काबिज काश्त के आधार पर वादीगण वाद विषयक आराजी के खातेदार घोषित होने व खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी 1 व 2 का नाम विलोपित करवाकर स्वयं का नाम अंकित करवाने के अधिकारी है।

....वादीगण

बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दोरान वकील वादी द्वारा RRD 1985 State of Raj. V. Devlal page no. 567-568 की नजीरे पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में तनकीयात कायम की गई। तनकी निर्णय निम्नप्रकार है–

तनकी सं0 1– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, जिसके संबंध में वादीगण प्रेमलाल आ0 रामनाथ के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये एवं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.05.1957 इसके अतिरिक्त न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी के निर्णय दिनांक 24.03.2004 प्रदर्श–7 एवं प्रमामणित प्रति निर्णय दिनांक 20.05.2009 अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम–2 बून्दी प्रदर्श–2 के निर्णय में भी वादीगण के पिता को विवादित कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय किया जाना माना है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति में इस तनकी वादीगण ने भली–भाँति प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। अतः इस कारण यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं0 2– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इसके समर्थन में वादी की और प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 में विवादित भूमि का कब्जा वादीगण के पिता को संभलाया जाना अंकित है। निर्णय दिनांक 20.05.2009 न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम–2 बून्दी प्रदर्श–2 एवं निर्णय दिनांक 24.03.2009 न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी प्रदर्श–7 के अवलोकन से भी विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा दिनांक 8.05.1957 से माना गया है। इसके अतिरिक्त वादी ने स्वयं के मौखिक साक्ष्य तथा दो अन्य पडौसी गवाहान के साक्ष्य में समथ–पत्र प्रस्तुत किये है जिसके खण्डन में प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का विवादित भूमि पर दिनांक 08.05.1957 से निरन्तर कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं0 3– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इसके समर्थन में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.05.1957 प्रदर्श–1 के अनुसार वादी के खातेदारी अधिकारी की घोषणा का निर्णय किया जाना है। इस संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट संशोधन एक्ट नं0 12 सन् 1964 को धारा 42(1)(बी) के संबंध में भूतलक्षी प्रभाव वाला नही माना गया है, जिसके आधार पर इस संशोधन के प्रभाव में आने की तिथि दिनांक 01.05.1964 को अथवा इसके पूर्व अनुसुचित जाति/जनजाति के खातेदार द्वारा किये गये हस्तानान्तरण को यदि अन्तर्गत अवधि शून्य घोषित नही करवाया गया है तो वे हस्तानान्तरण वैध माने गये है। वाद ग्रस्त हस्तानान्तरण को विक्रेता खातेदार द्वारा न्यायालय से शून्य घोषित करवाने के लिए कोई कार्यवाही अन्तर्गत अवधि प्रस्तुत नही की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपने विनिर्णय ए.आई.आर.–1965 राजस्थान पेज सं0 54 में दिनांक 01.05.1964 से पूर्व किये गये हस्तानान्तरण शून्यकरणीय होने से अंतर्गत अवधि शूनय घोषित नही करवाये जाने पर वैध

Scanned by CamScanner

हस्तान्तरण माने है। राजस्व मण्डल अजमेर की खण्ड पीठ के विनिर्णय 1985 आर.आर.डी. पेज 567 में प्रतिवादित किया गया है और दिनांक 3.04.1963 के विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने दिनांक 8.5.1957 को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर कृषि भूमि ख0सं0 167 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिसका बंदोबस्त से पूर्व ख0सं0 122 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा ग्राम केथूदा था, जो खसरा मिलान प्रदर्श-8 से प्रमाणित है, को क्रय करके कब्जा प्राप्त किया है और निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

अनुतोषः- उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर तनकी सं0 1 ता 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में है। वादीगण विवादित कृषि भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित कृषि भूमि खाता सं0 167 ग्राम कैथूदा संवत् 2062-65 में खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बैंक का यदि कोई रहन हो तो बैंक रहन यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला

Scanned by CamScanner